संख्या–2131 / अड़सठ–3–2018–304 / 2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 01 नवम्बर, 2018

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं0–71 के अन्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृतियों की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्रा0 / 2958 / 2018–19 दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू0 1000 / –प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फंण्डिग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू0–600 / –एवं राज्यांश रू0–400 / –प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0–600 / – प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0–5455.37 लाख तथा राज्यांश के रूप में रू0–3636.91 लाख अर्थात कुल रू0–9092.28 लाख (रू0 नब्बे करोड़ बानबे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में जनपदवार संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2– उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन–तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण / उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेगें।

3– जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

––2 /

5– धनराशि का राजकोष से आहरण एकमुश्च न करते हुए प्रत्येक माह की आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

6– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा – 112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103–कुकिंग लागत आदि (के.60 / रा.40–के+रा0)–20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

7– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–1237 / दस–18 दिनांक–01 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–2131(1) / अड़सठ–3–2018–304 / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
2– श्रम आयुक्त कानपुर ।
4– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
5– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0 / बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
11– सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
12– सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
13– सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0।
14– राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या,उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।

संख्या–2131 / अड़सठ–3–2018–304 / 2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 01 नवम्बर, 2018

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं0–71 के अन्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृतियों की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्रा0 / 2958 / 2018–19 दिनांक 26.09.2018 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू0 1000 / –प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फंण्डिग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू0–600 / –एवं राज्यांश रू0–400 / –प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0–600 / – प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0–5455.37 लाख तथा राज्यांश के रूप में रू0–3636.91 लाख अर्थात कुल रू0–9092.28 लाख (रू0 नब्बे करोड़ बानबे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में जनपदवार संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2– उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन–तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण / उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेगें।

3– जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

––2 /

5– धनराशि का राजकोष से आहरण एकमुश्च न करते हुए प्रत्येक माह की आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

6– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा –112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103–कुकिंग लागत आदि (के.60 / रा.40–के+रा0)–20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

7– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–1237 / दस–18 दिनांक–01 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–2131(1) / अड़सठ–3–2018–304 / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
2– श्रम आयुक्त कानपुर ।
4– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
5– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0 / बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
11– सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
12– सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
13– सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0।
14– राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या,उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।

Edu-6 A.K. budget. 2018

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2018-19: Grant-71: 2nd Installment

(Rs. in Lac)

S.N.	Districts	No. of cook-cum-helper in GENERAL Category as given by districts in QPR of 1st Qtr.	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 2nd Installment @Rs. 1000/- per cook per month		
			Central	State	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
1	01-Agra	4980	98.60	65.74	164.34
2	02-Aligarh	4262	84.39	56.26	140.65
3	03-Allahabad	6483	128.36	85.58	213.94
4	04-Ambedkar nagar	3638	72.03	48.02	120.05
5	05-Auraiya	3139	62.15	41.44	103.59
6	06-Azamgarh	5574	110.36	73.58	183.94
7	07-Badaun	5044	99.87	66.58	166.45
8	08-Baghpat	1362	26.97	17.98	44.95
9	09-Bahraich	7259	143.73	95.82	239.55
10	10-Ballia	5819	0.00	0.00	0.00
11	11-Balrampur	4085	80.89	53.92	134.81
12	12-Banda	3787	74.98	49.99	124.97
13	13-Barabanki	6516	129.02	86.01	215.03
14	14-Bareily	6039	145.97	97.32	243.29
15	15-Basti	4354	86.21	57.47	143.68
16	16-Bhadohi	2128	42.13	28.09	70.22
17	17-Bijnour	3931	77.83	51.89	129.72
18	18-Bulandshahar	3564	42.77	28.51	71.28
19	19-Chandauli	2200	51.81	34.54	86.35
20	20-Chitrakoot	2274	45.02	30.02	75.04
21	21-Amethi	3286	65.06	43.38	108.44
22	22-Deoria	3908	77.38	51.58	128.96
23	23-Etah	3752	86.72	57.82	144.54
24	24-Faizabad	4152	82.21	54.81	137.02
25	25-Farrukhabad	4281	84.76	56.51	141.27
26	26-Fatehpur	4479	88.69	59.12	147.81
27	27-Firozabad	3820	75.64	50.42	126.06
28	28-G.B. Nagar	167	3.31	2.20	5.51
29	29-Ghazipur	5241	103.77	69.18	172.95
30	30-Ghaziyabad	933	20.27	13.52	33.79
31	31-Gonda	6614	130.96	87.30	218.26
32	32-Gorakhpur	4862	96.27	64.18	160.45
33	33-Hameerpur	1931	40.04	26.70	66.74
34	34-Hardoi	8142	161.21	107.48	268.69
35	35-Hathras	1927	49.00	32.66	81.66
36	36-Itawah	3580	70.88	47.26	118.14
37	37-J.P. Nagar	2217	43.90	29.26	73.16
38	38-Jalaun	2838	56.19	37.46	93.65
39	39-Jaunpur	7698	152.42	101.61	254.03
40	40-Jhansi	2643	52.33	34.89	87.22
41	41-Kannauj	3823	75.70	50.46	126.16
42	42-Kanpur Dehat	4610	91.28	60.85	152.13

(राजनाथ विश्वकर्मा)
समीक्षा अधिकारी
बेसिक शिक्षा अनुभाग–3
उ० प्र० शासन

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper

FY 2018-19: Grant-71: 2nd Installment

(Rs. in Lac)

S.N.	Districts	No. of cook-cum-helper in GENERAL Category as given by districts in QPR of 1st Qtr.	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 2nd Installment @Rs. 1000/- per cook per month		
			Central	State	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
43	43-Kanpur Nagar	3039	60.17	40.12	100.29
44	44-Kaas Ganj	3032	60.04	40.02	100.06
45	45-Kaushambi	2032	40.24	26.82	67.06
46	46-Kushinagar	4607	91.22	60.81	152.03
47	47-Lakhimpur Kheri	7312	144.78	96.52	241.30
48	48-Lalitpur	3476	68.83	45.88	114.71
49	49-Lucknow	1922	38.06	25.37	63.43
50	50-Mahoba	1940	38.41	25.61	64.02
51	51-Mahrajganj	3730	73.85	49.24	123.09
52	52-Mainpuri	3924	77.69	51.80	129.49
53	53-Mathura	131	3.27	2.18	5.45
54	54-Mau	2453	48.57	32.38	80.95
55	55-Meerut	1648	32.63	21.75	54.38
56	56-Mirzapur	3652	72.31	48.21	120.52
57	57-Moradabad	2233	44.21	29.48	73.69
58	58-Muzaffarnagar	2156	42.69	28.46	71.15
59	59-Pilibhit	3363	66.59	44.39	110.98
60	60-Pratapgarh	5251	104.82	69.88	174.70
61	61-Rai Bareily	4163	82.43	54.95	137.38
62	62-Rampur	2948	58.37	38.91	97.28
63	63-Saharanpur	2565	50.79	33.86	84.65
64	64-Santkabir Nagar	2518	49.85	33.24	83.09
65	65-Shahjahanpur	6208	122.92	81.94	204.86
66	66-Shrawasti	2336	46.25	30.84	77.09
67	67-Siddharthnagar	4041	80.01	53.34	133.35
68	68-Sitapur	7832	155.08	103.38	258.46
69	69-Sonbhadra	2479	49.09	32.72	81.81
70	70-Sultanpur	4451	88.13	58.75	146.88
71	71-Unnao	5042	99.83	66.56	166.39
72	72-Varanasi	2611	51.70	34.46	86.16
73	73-Sambhal	2751	54.47	36.31	90.78
74	74-Hapur	1024	20.27	13.52	33.79
75	75-Shamli	1349	26.72	17.80	44.52
	TOTAL	279561	5455.37	3636.91	9092.28

(अनु सचिव)

उत्तर प्रदेश शासन

(राजनाथ विश्वकर्मा)

समीक्षा अधिकारी

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3

उ० प्र० शासन